न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 601/2019

कैलाश प्रसाद पुत्र श्री रूपनारायण जाति महाजन, निवासीः एस.बी.आई बैंक के सामने, सर्राफ कॉलोनी, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद दत्तक पुत्र श्री जगदीश नारायण
2. वंशिका पुत्री स्वर्गीय दीपक नाबालिग जरिये संरक्षक चाचा गिर्राज प्रसाद दत्तक पुत्र श्री जगदीश नारायण
   समस्त जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासीः सर्राफ कॉलोनी, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. मंजू खण्डेलवाल पुत्री जगदीश नारायण पत्नि महेश चन्द गुप्ता, जाति महाजन, निवासीः बी–7ए, मॉडल टाउन, जगतपुरा, मालवीय नगर रोड, जयपुर।
4. अंजू खण्डेलवाल पुत्री जगदीश नारायण पत्नि दीपेश खण्डेलवाल, जाति महाजन, निवासीः शॉपिग सेन्टर जनता कॉलोनी, जयपुर।
5. रामप्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री रूपनारायण जाति महाजन, निवासीः सर्राफ कॉलोनी, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर वाद संख्या 56/2019 उनवानी गिर्राज प्रसाद बनाम मंजू खण्डेलवाल अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः

श्री प्रकाश चन्द्र भारती एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री राजेश कुमार शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

एवम्

अपील संख्या : 693/2019

1. मंजू खण्डेलवाल पुत्री जगदीश नारायण पत्नि महेश चन्द गुप्ता, जाति महाजन, निवासीः बी–7ए, मॉडल टाउन, जगतपुरा, मालवीय नगर रोड, जयपुर।
2. अंजू खण्डेलवाल पुत्री जगदीश नारायण पत्नि दीपेश खण्डेलवाल, जाति महाजन, निवासीः शॉपिग सेन्टर जनता कॉलोनी, जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद दत्तक पुत्र श्री जगदीश नारायण
2. वंशिका पुत्री स्वर्गीय दीपक नाबालिग जरिये संरक्षक चाचा गिर्राज प्रसाद दत्तक पुत्र श्री जगदीश नारायण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

समस्त जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी: सर्राफ कॉलोनी, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर वाद संख्या 56/2019 उनवानी गिर्राज प्रसाद बनाम मंजू खण्डेलवाल अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:

श्री लेखराज जैमन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स

निर्णय दिनांक: 17/03/2020

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट्स की ओर से दो पृथक पृथक अपीले न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के वाद संख्या 56/2019 बउनवानी गिर्राज प्रसाद बनाम मंजू खण्डेलवाल में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 27.08.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 1554 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1924 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है। भूमि वादग्रस्त के हिस्सा 1/3 के मूल खातेदार जगदीश नारायण पुत्र स्व. रूपनारायण के एकमात्र पुत्र संतान दीपक उत्पन्न हुआ था एवं दो पुत्रियां क्रमशः मंजू व अंजू प्रतिवादी संख्या एक व दो हुई थी। केदारनाथा त्रासदी में जगदीशनारायण के एकमात्र पुत्र दीपक, पुत्रवधु श्वेता, पौत्री रितिका एवं पत्नि प्रेमदेवी की मृत्यु हो गई, इसलिये जगदीशनारायण पुत्र स्व. रूपनारायण ने हिन्दू धर्म में मृत्यु के पश्चात् क्रिया कर्म व पिण्डदान जलदान व चाल चलावे के पुत्र की आवश्यकता होने के कारण अपने जीवनकाल में वादी संख्या एक को अपने पास दत्तक पुत्र की हैसियत से रख लिया था एवं वादी संख्या एक ही मृतक जगदीशनारायण पुत्र स्व. रूपनारायण की पुत्रवत सेवा सुश्रुषा करता रहा है इसलिये वादी संख्या एक ही सेवा सुश्रुषा से प्रसन्त होकर वादी संख्या एक के दत्तक पिता जगदीशनारायण पुत्र स्व. रूपनारायण ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.05.2015 को वादी संख्या एक के हक में एक वसीयत निष्पादित कर दी ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसमें प्रतिवादी संख्या एक लगायत दो ने मौखिक सहमति दी। दिनांक 29.05.2015 को वादी संख्या एक के दत्तक पिता जगदीशनारायण पुत्र स्व. रूपनारायण की मृत्यु हो चकी है एवं वादी संख्या एक के दत्तक पिता जगदीशनारायण पुत्र स्व. रूपनारायण की मृत्यु उपरान्त भूमि वादग्रस्त का एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज खातेदार वसीयत दिनांक 15.05.2015 के आधार पर वादी संख्या एक है एवं वादी संख्या एक वसीयत के आधार पर भूमि वादग्रस्त का बतौर काबिज शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है जब तक वादी संख्या एक का दत्तक पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

जगदीशनारायण पुत्र स्व. रूपनारायण जीवित रहा वह अपने दत्तक पुत्र वादी संख्या एक के सहयोग से अपने स्वामित्व की सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करता रहा एवं वादी संख्या एक के दत्तक पिता जगदीश की मृत्यु के पश्चात् उनके स्वामित्व की सम्पत्ति की वादी संख्या एक मुताबिक वसीयत दिनांक 15.05.2015 काबिज होकर मालिक, स्वामी की हैसियत से वादी संख्या दो के साथ उसका निरन्तर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी संख्या दो जो कि रिश्ते में वादी की भतीजी है वह वादी संख्या एक के पास ही रहती है एवं वादी संख्या एक उसकी समस्त प्रकार की आवश्यकताये जैसे शिक्षा, बीमारी इत्यादि की पूर्ति कर रहा है एवं वादी संख्या एक वादी संख्या दो को अपने पास अपनी पुत्री की तरह रख रहा है। प्रतिवादी संख्या एक व दो जो कि वादी संख्या एक की बहने है, वादी संख्या एक समय–समय पर उनके भी अपने हैसियत के मुताबिक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में होने वाले खर्च भाई की हैसियत से कर रहा है अर्थात वादी संख्या एक अपनी समस्त जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है एवं वी संख्या एक की इच्छा है कि उसके दत्तक पिता जगदीशनारायण पुत्र स्व. रूपनारायण के द्वारा छोडी गई समस्त सम्पत्ति में उसके साथ–साथ वादी संख्या दो का नाम भी दर्ज हो। वादी संख्या एक के दत्तक पिता जगदीशनारायण पुत्र स्व. रूपनारायण की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक लगायत दो को भी वादी संख्या एक के हक में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 15.05.2015 के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने पर कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं था परन्तु वादी संख्या एक अपने साथ–साथ वादी संख्या दो का नाम भी भूमि वादग्रस्त में दर्ज करवाना चाहती है लेकिन प्रतिवादी संख्या एक व दो इस बात से सहमत नहीं है। वादी संख्या एक के दत्तक पिता जगदीशनारायण पुत्र स्व. रूपनारायण की मृत्यु के पश्चात् वादी संख्या एक आश्वस्त था कि उसके पक्ष में उसके दत्तक पिता द्वारा वसीयत तो निष्पादित कर ही रखी है एवं वह वादी संख्या दो के साथ उसके दत्तक पिता द्वारा छोडी सम्पत्ति का शांतिपूर्वक उसका उपयोग उपभोग कर रहा है इसलिये भूमि वादग्रस्त वसीयत के आधार पर उसके नाम ही दर्ज हो जावेगी। अभी हाल ही में वादी संख्या एक ने प्रतिवादी संख्या एक व दो से वादी संख्या एक व वादी संख्या दो के नाम संयुक्त रूप से नामान्तकरण खुलवाने हेतु सहमति देने हेतु कहा तो उन्होने इंकार कर दिया एवं कहा कि नामान्तकरण उनके नाम खुलवाया जावे तब ही वह अपनी सहमति देगी अन्यथा अपनी सहमति नहीं देगी जबकि जगदीश नारायण पुत्र स्व. रूपनारायण की समस्त चल व अचल सम्पत्तियां का एकमात्र मालिक, स्वामी एवं खातेदार वसीयत के आधार पर वादी संख्या एक है एवं वह अपनी स्वेच्छा से वादी संख्या दो का नाम अंकित करवाना चाहता है इसलिये वादीगण को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण को माननीय न्यायालय की शरण लेना आवश्यक हुआ है एवं वादीगण अधिकारी है कि वह माननीय न्यायालय से भूमि वादग्रस्त में अपने खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा करावे। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर ग्राम बस्सी, तहसील तहसील जिला जयपुर के हाल खसरा नंबर 1554 रकबा 0.10, (1924) रकबा 0.37 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/3 का वादी संख्या एक व हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/3 का वादी संख्या दो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रकार का अंकन संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में करने का आदेश तहसीलदार बस्सी को दिया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात का विक्रय, रहन, बक्शीश इत्यादि किसी दीगर व्यक्ति को तब तक नहीं करे, जब तक उक्त भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हो जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 27.08.2019 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 15.05.2015 में जगदीश नारायण सर्राफ ने विवादग्रस्त आराजीयात के खसरा नंबर 1554 के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुये उक्त खसरा नंबर 1554 की भूमि व उसमें निर्मित मकानात अपने दोनो भाई अपीलान्ट कैलाश नारायण व रेस्पोडेन्ट रामप्रसाद को पारिवारिक बंटवारे में दिया जाना वर्णित कर स्वयं का उक्त खसरा नंबरान 1554 की भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं होना बताया गया है। वादी संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जगदीश का दत्तक पुत्र होना बताकर वसीयतनामा दिनांक 15.05.2015 के आधार पर विवादग्रस्त आराजीयात में मृतक जगदीश के हिस्से की घोषणा चाही गई थी जिसमें वादी द्वारा खसरा नंबर 1554 व 1924 के 1/3 हिस्से की घोषणा के अनुतोष की मांग कर राजीनामा के आधार पर खसरा नंबर 1554 व 1924 के 1/3 हिस्से की घोषणा अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये हुये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष करवा ली जबकि जगदीश नारायण सर्राफ द्वारा अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुये खसरा नंबर 1554 को अपने भाई बंटवारे में अपने भाईयों के हक में होने का कथन कर खसरा नंबर 1554 से अपने हक अधिकार समाप्त होना बताया गया इसलिये उपरोक्त विवेचनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतनामा दिनांक 15.05.2015 का ध्यानपूर्वक अध्ययन न कर वादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नंबर 1554 के बाबत गलत रूप से वसीयतनामा के विपरीत जाकर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 27.08.2019 खारिज फरमाया जावे।

4. वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा सम्यक तामील के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने जवाबदावा के माध्यम से दावे में वर्णित तथ्यों के बाबत अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान कर दी गई थी। तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजीनामा दिनांक 27.08.2019 को प्रस्तुत कर राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान की गई जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विधिनुसार राजीनामा द्वारा निर्णित प्रकरण की अपील चलने योग्य नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

5. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों के राजीनामा के आधार पर निर्णय दिनांक 27.08.2019 को वाद को डिक्री किया गया जिसमें अपीलान्ट कैलाश बतौर पक्षकार कायम नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार विवादग्रस्त आराजीयात के खसरा नंबर 1554 रकबा 0.10 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1924 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर में अपीलान्ट का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक जगदीश नारायण सर्राफ की वसीयत दिनांक 15.05.2015 के अवलोकन से पाया गया कि उक्त वसीयतनामा दिनांक 15.05.2015 में विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के हित अधिकार के अतिरिक्त अपीलान्ट कैलाश व रेस्पोडेन्ट रामप्रसाद के भी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में हित अधिकारों का वर्णन है। इसलिये अपीलान्ट विवादग्रस्त आराजीयात में रिकॉर्डेड खातेदार होने से एवं तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 15.05.2015 में अपीलान्ट के हित अधिकार उल्लेखित होने से, जिसके आधार पर वादीगण द्वारा वाद के माध्यम से घोषणा चाही गई थी इसलिये विवादग्रस्त आराजीयात में अपीलान्ट के हित अधिकार निहित होने से अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। इस कारण प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलान्ट को अपील प्रस्तुति की इजाजत प्रदान की जाती है।

6. न्यायालय हाजा के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय के विरूद्व दो पृथक–पृथक अपील संख्या 693/2019 उनवान मंजू खंडलेवाल बनाम गिर्राज प्रसाद एवं अन्य अपील संख्या 601/2019 उनवान कैलाश प्रसाद बनाम गिर्राज प्रसाद प्रस्तुत हुई है। अपील संख्या 693/2019 उनवान मंजू खंडलेवाल बनाम गिर्राज प्रसाद का विवेचन इस प्रकार है कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में बतौर प्रतिवादीगण के रूप में कायम थी। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा सम्यक तामील के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने जवाबदावा के माध्यम से दावे में वर्णित तथ्यों के बाबत अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान कर दी गई थी। तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजीनामा दिनांक 27.08.2019 को प्रस्तुत कर राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान की गई जिसके उपरान्त दिनांक 27.08.2019 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजीनामा तस्दीक कर, पक्षकारान के आदेशिका पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर लिये जाकर उभयपक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलान्ट द्वारा वाद में राजीनामा प्रस्तुत किये जाने के कारण सी.पी.सी. की धारा 96 (3) के अनुसार राजीनामा के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिनुसार मेन्टेलेबल नहीं होने से खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अपील संख्या 601/2019 उनवान कैलाश प्रसाद बनाम गिर्राज प्रसाद का विवेचन इस प्रकार है कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर पक्षकार के रूप में कायम नहीं थे जिसके फलस्वरूप अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारंभ से नहीं हो सकी। इस कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 15.05.2015 में जगदीश नारायण सर्राफ ने विवादग्रस्त आराजीयात के खसरा नंबर 1554 के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुये उक्त खसरा नंबर 1554 की भूमि व उसमें निर्मित मकानात अपने दोनो भाई अपीलान्ट कैलाश नारायण व रेस्पोडेन्ट रामप्रसाद को पारिवारिक बंटवारे में दिया जाना वर्णित कर स्वयं का उक्त खसरा नंबरान 1554 की भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं होना बताया गया है। वादी संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जगदीश का दत्तक पुत्र होना बताकर वसीयतनामा दिनांक 15.05.2015 के आधार पर विवादग्रस्त आराजीयात में मृतक जगदीश के हिस्से की घोषणा चाही गई थी जिसमें वादी द्वारा खसरा नंबर 1554 व 1924 के 1/3 हिस्से की घोषणा के अनुतोष की मांग कर राजीनामा के आधार पर खसरा नंबर 1554 व 1924 के 1/3 हिस्से की घोषणा अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये हुये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष करवा ली जबकि जगदीश नारायण सर्राफ द्वारा अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुये खसरा नंबर 1554 को अपने भाई बंटवारे में अपने भाईयों के हक में होने का कथन कर खसरा नंबर 1554 से अपने हक अधिकार समाप्त होना बताया गया इसलिये उपरोक्त विवेचनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतनामा दिनांक 15.05.2015 का ध्यानपूर्वक अध्ययन न कर वादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नंबर 1554 के बाबत गलत रूप से वसीयतनामा के विपरीत जाकर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये है। इस कारण मेरे विधिक मतानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2019 में से खसरा नंबर 1554 में वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर खसरा नंबर 1554 के खातेदारी अधिकार अपीलान्ट कैलाश प्रसाद पुत्र रूपनारायण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 रामप्रसाद पुत्र रूपनारायण को बराबर–बराबर प्रदान किये जाकर शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 693/2019 उनवान मंजू खंडलेवाल बनाम गिर्राज प्रसाद मेन्टलेबल नहीं होने से खारिज की जाती है। अपील संख्या 601/2019 उनवान कैलाश प्रसाद बनाम गिर्राज प्रसाद आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2019 में से खसरा नंबर 1554 में वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर खसरा नंबर 1554 के खातेदारी अधिकार अपीलान्ट कैलाश प्रसाद पुत्र रूपनारायण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 रामप्रसाद पुत्र रूपनारायण को बराबर–बराबर प्रदान किये जाकर शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner